मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रॉडबैण्ड कमेटी (यूपीएसबीसी) की दिनांक 28 मार्च 2022 को अपरान्ह 12:30 बजे आहूत बैठक का कार्यवृत्तः-

"उपस्थितिः संलग्नानुसार

राइट ऑफ वे पॉलिसी के अन्तर्गत लम्बित आवेदनों के निस्तारण के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 9-3-2020 को एक बैठक आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में उनके द्वारा प्रस्तुत अधिकांश बिन्दुओं के समाधान हेतु सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निम्नवत निर्देश दिये गये है:-

2- आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा ब्रॉडबैण्ड की निरन्तरता आवश्यक है। इस इन्फ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करते हुए राज्य में ई-कॉमर्स, ई-हेल्थ, डिस्टेण्ट एजूकेशन लर्निंग, स्वास्थ्य सेवाओं इत्यादि को प्रदेश के विकास में समग्र रूप में उपयोग किया जा रहा है। हम सभी को मिलकर उत्तर प्रदेश को देश में प्रथम राज्य बनाने में कार्य करना होगा।

<u>एजेण्डा बिन्दु संख्या-1</u>

3- उत्तर प्रदेश राइट ऑफ वे पोर्टल पर अधिक संख्या में प्राप्त आवेदनों के लम्बित होने तथा निरस्त होने के कारणों के विषय में दूरसंचार विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया कि पोर्टल पर आवेदन सम्बन्धित विभाग को प्रस्तुत न होकर अन्य विभाग को प्राप्त हो रहे थे तथा अग्रसारण की सुविधा नहीं होने के कारण या तो लम्बित रहते थे अथवा अन्तर्विभागीय निरस्त हो जाते थे। इसके अतिरिक्त कतिपय अन्य कारणों से भी आवेदन पत्र निरस्त हो रहे थे। इन सभी बिन्दुओं पर विचार-विमर्श कर अधिकांश बिन्दुओं को पोर्टल पर संशोधित कर इनका निराकरण कर लिया गया है तथा कतिपय अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में पोर्टल के सॉफ्टवेयर में संशोधन किया जाना प्रक्रिया में है।

<u>एजेण्डा बिन्दु संख्या-2</u>

4- उत्तर प्रदेश राइट ऑफ वे पोर्टल पर मोबाईल टावर की स्थापना हेतु प्राप्त आवेदनों पर शासनादेश संख्या 36/2018/852/78-1-2018-45आईटी/2016 दिनांक 15 जून 2018 द्वारा आवेदनों के निस्तारण हेतु निर्धारित "आवेदन की तिथि से 60 (साठ) दिवसों से अनधिक की अवधि" को उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में "आवेदन की तिथि से 45 (पैंतालिस) दिवसों से अनधिक की अवधि" कर दिया गया है। इन निर्देशों का अनुपालन प्रदेश शासन के सम्बन्धित विभागों/ प्राधिकरणों/ संस्थाओं/समितियों इत्यादि द्वारा सुनिश्चित किये जाने के सन्दर्भ में निर्देश दिये गये थे कि सम्बन्धित विभाग यह सुनिश्चित करें कि उनके राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों द्वारा यथानिर्धारित 45 दिनों की समयावधि के अन्दर आवेदनों का निस्तारण अधीनस्थ इकाइयों के

माध्यम से सुनिश्चित कराया जाये। इस सम्बन्ध में दिनांक 09 मार्च 2022 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आहूत बैठक में पुनः यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ऐसे समस्त आवेदन जिनमें शासकीय भूमि/भवन अन्तर्निहित नहीं है, उनमें 'डीम्ड एप्रूवल' की 45 दिनों की यथाप्राविधानित व्यवस्था लागू की जाये।

5- पुनः निर्देश दिये गये कि शासकीय भूमि/भवनों पर मोबाइल टावर की स्थापना के लिए भारत सरकार की अधिसूचना में प्राविधानित 60 दिनों में 'डीम्ड एप्रूवल' की व्यवस्था लागू कराई जाये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-3

6- स्टेट राइट ऑफ वे पोर्टल को सेन्ट्रल राइट ऑफ वे पोर्टल से एकीकरण के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि वर्तमान में स्टेट राइट ऑफ वे पोर्टल का एकीकरण 'निवेश मित्र' पोर्टल से है तथा निवेश मित्र पोर्टल का एकीकरण भारत सरकार के निवेश पोर्टल National Single Window Portal (NSWP) से पूर्व से ही है और स्टेट राइट ऑफ वे पोर्टल का इन्टीग्रेशन (State to Central) सेन्ट्रल राइट ऑफ वे पोर्टल से कर दिया गया है अतः Central to State Central इन्टीग्रेशन कराये जाने हेतु Landing URL दूरसंचार विभाग को तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये।

एजेण्डा बिन्दु संख्या-4, 5, 6, 7, 8

7- बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या 4, 5, 6, 7 एवं 8 के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि:-

- उ0प्र0 राइट ऑफ वे पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का निस्तारण कर अनापत्ति निर्गत करने हेतु मात्र 4 विभागों/संस्थाओं को ही अधिकृत किया गया है जोकि निम्नवत् हैं:-

i. आवास विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों तथा विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में अनुमतियां इन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले नगर निगम/नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत के स्तर से जारी न होकर आवास विभाग के अधीन सम्बन्धित प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र के स्तर से प्रदान की जायेगी।

ii. आवास विभाग के अधीनस्थ विकास प्राधिकरणों, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र से आच्छादित स्थानीय निकायों को छोड़कर शेष नगर पालिका/नगर पंचायतों के अधीनस्थ क्षेत्रों में अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय द्वारा निर्गत किये जायेंगे तथा इन क्षेत्रों में वार्षिक किराये/शुल्क की धनराशि सम्बन्धित नगर पालिका/नगर पंचायतों के खातों में प्राप्त होगी।

iii. औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के अधिसूचित क्षेत्रों में सम्बन्धित औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा अनुमतियाँ प्रदान की जाएगी।

iv. ग्रामीण क्षेत्रों में सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा अनुमतियाँ जारी की जाएँगी।

जिन शासकीय विभागों/संस्थाओं की भूमि/भवन पर टावर की स्थापना की जानी होगी, उनकी सहमति स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त करने की व्यवस्था लागू करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

- मोबाइल टावर की स्थापना के प्रयोग में आने वाले डीजी सेट में प्रदूषण नियंत्रण की अनापत्ति की आवश्यकता के अन्तर्गत यह देखते हुए कि सामान्यतः 50 केवीए से अधिक क्षमता के जनरेटर मोबाइल टावर में नहीं लगाये जाते हैं, पर्यावरण विभाग/30प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 50 केवीए तक की क्षमता के एकल (स्टैण्ड एलोन) डीजल जनरेटिंग सेट्स को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति की अनिवार्यता न होने के सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिये गये है।

- अनधिकृत (unauthorized) /अस्वीकृत कालोनियों में मोबाइल टावर की स्थापना केवल सार्वजनिक स्थल/पार्क में ही अनुमन्य होगी।

- प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सम्भावित हानि को न्यूनतम करने के दृष्टिगत टावर का निर्माण संकरी गलियों में अनुमन्य नहीं होने के परिप्रेक्ष्य में, संकरी गली को 6 फीट चौड़ी, पारिभाषित कर दिया गया है।

- स्टेट राइट ऑफ वे पोर्टल पर नये टावर की स्थापना हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, पूर्व से स्थापित मोबाइल टावर्स के विनियमितीकरण (Regularization) के लिए भी आवेदन प्रस्तुत करने की व्यवस्था है, परन्तु राज्य में विभागों/संस्थाओं में विनियमितीकरण की व्यवस्था नहीं होने के कारण आवेदन निरस्त कर दिये जाते हैं। अतः सभी सम्बन्धित विभागों/प्राधिकरणों/निकायों को यह निर्देश दे दिये गये हैं कि उनके क्षेत्र में पहले से स्थापित टावर्स के विनियमितीकरण (Regularization) हेतु 'कम्पाउण्डिंग' की व्यवस्था के लिए उनके विभाग में प्रचलित नियमों में आवश्यक संशोधन कर करा ली जाये।

- इसी प्रकार कतिपय स्थानों पर बिना अनुमति प्राप्त किये हुए स्थापित मोबाइल टावर्स को सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं द्वारा, बिना नोटिस सील कर दिये जाने के सन्दर्भ में डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन (DIPA) के सदस्यों द्वारा उठाये गये बिन्दु के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये कि पहले से स्थापित टावर्स के विनियमितीकरण (Regularization) हेतु 'कम्पाउण्डिंग' की व्यवस्था के लिए उनके विभाग में प्रचलित नियमों में आवश्यक संशोधन कर करा ली जाये तथा यह व्यवस्था होने तक पहले से स्थापित टावर्स को सील नहीं किया जाये।

- भूमिगत ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाये जाने के उपरान्त भूमि की सतह को समतल करने के लिए विभिन्न संस्थाओं/विभागों द्वारा अति अधिक रेस्टोरेशन चार्जेस की मांग किये जाने तथा प्रदेश में इसे एकरूपता के आधार पर लागू किये जाने के सन्दर्भ में नगर विकास विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि

अधिकांश प्रकरणों में सेवा प्रदाता कम्पनी द्वारा अत्यन्त निम्न गुणवत्ता का रेस्टोरेशन कार्य कराया जाता है। अतः सेवा प्रदाता कम्पनियों से यह अपेक्षा की गई कि रेस्टोरेशन के उपरान्त किसी प्रतिष्ठित थर्ड पार्टी से रेस्टोरेशन कार्य की गुणवत्ता का परीक्षण भी कराया जाए।

- मेसर्स इन्डस टावर्स के इस अनुरोध कि विद्युत संयोजन (Electricity Connection) की प्राप्ति हेतु आवेदन की व्यवस्था राइट ऑफ वे पोर्टल पर ही कर दी जाये, के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि पूर्व में भी दिनांक 2 मार्च 2022 को DIPA के प्रतिनिधियों से बैठक के दौरान इस हेतु प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से वार्ता/बैठक करने के निर्देश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में उनको अवगत करा दिया गया है। प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से इस हेतु सम्पर्क कर लिया जाये।

- Internet Providers (IPs) द्वारा निवेश मित्र पोर्टल पर मात्र 99 आवेदन ही पंजीकृत किये जाने की व्यवस्था होने के सम्बन्ध में निवेश मित्र टीम को निर्देशित किया गया कि सॉफ्टवेयर में यह प्रतिबन्ध हटाये जाने की व्यवस्था कराई जाये।

- शासकीय भूमि/भवनों पर मोबाइल टावर की स्थापना हेतु वार्षिक किराये के निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है। समिति की रिपोर्ट में प्रस्तावित दरों (भूमि की सर्किल रेट का 7 प्रतिशत) पर सम्पूर्ण प्रदेश में एकरूपता के आधार पर वार्षिक किराये की व्यवस्था लागू करा दी जायेगी।

<u>एजेण्डा बिन्दु संख्या-9</u>

8- प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मोबाइल कवरेज की उपलब्धता की सूचना अधिकांश जनपदों से प्राप्त हो गई है, जो दूरसंचार विभाग को उपलब्ध करा दी गई है। शेष जनपदों से यह सूचना प्राप्त कर शीघ्र ही उपलब्ध करा दी जायेगी।

<u>एजेण्डा बिन्दु संख्या-10 एवं 11</u>

9- बैठक के एजेण्डा बिन्दु संख्या 10 एवं 11 के सम्बन्ध में दूरसंचार विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रदेश की 36302 ग्राम पंचायतों में ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछा दी गई है तथा जीपीओएन उपकरण संचालित हैं। अधिकांश स्थानों पर यह उपकरण पंचायत भवनों में स्थापित हैं। इन उपकरणों का रख-रखाव भारत सरकार की संस्था सी.एस.सी. एस.पी.वी. द्वारा किया जाता है। भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत जिन स्थानों पर फाइबर केबिल बिछाने (cable laying) का कार्य दिया गया है. में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 5 स्थानों पर निःशुल्क एफ.टी.टी.एच. कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था है।

10- दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि एफ.टी.टी.एच के माध्यम से गांवों में ग्राम पंचायत, प्राथमिक पाठशाला, आंगनबाड़ी एवं ए.एन.एम. केन्द्र, प्राथमिक/ सामुदायिक

स्वास्थ्य केन्द्र, खाद एवं बीज वितरण केन्द्र इत्यादि पर इन्टरनेट कनेक्शन उपलब्ध करा दिये जायें। ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों के द्वारा इन्टरनेट प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया, दरें, सम्पर्क सूत्र इत्यादि उपलब्ध करा दें जिससे कि राज्य सरकार द्वारा उसका व्यापक प्रचार-प्रसार कर सम्भावित उपयोगकर्ताओं को जागरूक किया जा सके।"

बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अरविन्द कुमार)
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन
आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1
संख्याः 448/78-1-2022-666/2020
लखनऊ दिनांक 06 मई, 2022

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव ,नगर विकास विभाग/लोक निर्माण विभाग/वन एवं पर्यावरण विभाग/पंचायती राज विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।
2 प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड।
3 सलाहकार/ Sr DDG of Dot of The UP (East)& UP (West) LSAs
4 CGM, BSNL UP (East) and UP (West), Telecom Circles
5 CGM BBNL - State Head UP (East) & UP (West)
6 COAI / TAIPA /DIPA
7 निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
8 निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
9 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10 प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, लखनऊ।
11 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी लखनऊ।
12 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रभंजन यादव)
अनु सचिव